राजस्व वाद संख्याः– 123/2022
जगतसिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0
निर्णय दिनांकः– 18.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

ासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

जस्व वाद सं.– **123/2022**

र्णय दिनांक :– **18.10.2023**

जगतसिंह वगै0 **बनाम** राजस्थान सरकार वगै0

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा

वादी की ओर से **श्री सन्दीप मान एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.10.2023 को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत हाल खसरा नम्बर 11 रकबा 3.48 है0, हाल खसरा नम्बर 12 रकबा 2.88 है0, हाल खसरा नम्बर 89 रकबा 0.90 है0, हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 1.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 8.36 है0 स्थित राजस्व ग्राम घण्डावा तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान की भूमि में वादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 02.07.1998 को निरस्त किया जाता है उसे शून्य समझा जावे। तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2023/750 दिनांक 08.08.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार तहसीलदार पिलानी को तहरीर जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18.10.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़